



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271633
CG-DL-E-08042026-271633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1713]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1713]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1781(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5226 तारीख 17.11.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के करनाल जिले में Ring Road के कि.मी. 0 से कि.मी.34.5 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरणे / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23.11.2025, द ट्रिब्यून (अंग्रेज़ी) और दैनिक जागरण (हिन्दी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के करनाल जिले में Ring Road के कि.मी. 0 से कि.मी.34.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: करनाल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: करनाल					
गांव का नाम: सोहाना (94)					
1	31//4 मिन	निजी	एग्रीकल्चर	0.0152	जय भगवान, तारा पुत्र हरफूल पुत्र गीता 1024/1827 भाग, राजपति पत्नी जगमाल सिंह पुत्र बलवान 50/609 भाग, कोमल पुत्री ऋषिपाल पुत्र ओमप्रकाश 512/27405 भाग, किरणपाल पुत्र ओम प्रकाश पुत्र हरफूल 512/3045 भाग, मेवा देवी विधवा ओमप्रकाश पुत्र हरफूल 512/5481 भाग, अंग्रेजन देवी पत्नी सुमेर

					चंद पुत्र लछमन 47/609 भाग
तालुक का नाम: घरौंडा					
गांव का नाम: कुटेल					
2	37//8	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506	राजेश कुमार पुत्र राम दिया पुत्र बिच्छा 1135/2683 भाग, रमेश कुमार पुत्र राम दिया पुत्र बिच्छा 944/2683 भाग, कृष्ण कुमार, राजबीर पुत्र देवी सिंह पुत्र बिच्छा राम 604/2683 भाग
Total				0.0658	

[फा. सं. 11140/NHAI/AMB/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2026

S.O. 1781(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5226 Dated 17.11.2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km. 0 to Km. 34.5 in the district of KARNAL in the state of HARYANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in The Tribune (English) and Dainik Jagran (Hindi) dated 23.11.2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Ring Road in the stretch of land from Km. 0 to Km. 34.5 in the district of KARNAL in the state of HARYANA

State: HARYANA			District: KARNAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Karnal					
Village: Sohana (94)					
1	31//4 min	Private	Agriculture	0.0152	Jai Bhagwan, Tara Sons of Harphool S/o Geeta 1024/1827 part Rajpati W/o Jagmal Singh S/o Balwan 50/609 part, Komal D/o Rishipal S/o Omprakash 512/27405 part, Kiranpal S/o Om Prakash S/o Harphool 512/3045 part, Mewa Devi widow Omprakash S/o Harphool 512/5481 part, Angrejon Devi W/o Sumer Chand S/o Lachhman 47/609 part
Taluk: Gharaunda					
Village: Kutail					
2	37//8	Private	Agriculture	0.0506	Rajesh Kumar S/o Ram Diya S/o Bichha 1135/2683 part, Ramesh Kumar S/o Ram Diya S/o Bichha 944/2683 part, Krishan Kumar, Rajbir Son of Devi Singh S/o Bichha Ram 604/2683 part
Total				0.0658	

[F. No. 11140/NHAI/AMB/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director